

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/

दिनांक

**प्रार्थीगण:-**

1.उदा 2.नारणा पि.वीरा 3.किशनकुमार  
पुत्र कालूराम 4.मु.पारू पत्नि कालूराम  
जातियान मेघवाल, निवासी सेंवरों का तला  
(कापराऊ) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

**विप्रार्थीगण:-**

1.लूणाराम पुत्र सिलाराम जाति मेघवाल, निवासी सेंवरों का  
तला 2.पांची पत्नि डूंगरा, जाति मोची, निवासी नेहरू नगर,  
चौहटन 3.खेताराम पुत्र लुम्बाराम, जाति मेघवाल,  
निवासी कापराऊ, तहसील चौहटन 4.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 01/2023

दिनांक : 02.04.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कापराऊ के मौजा सेवरों का तला के खेत खसरा सं. 79/17 रकबा 06.4750 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 743 + 0746

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण उदा वगैरा
3. विप्रार्थीगण लूणाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 02/04/2024

(सूजमान विश्वासे)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन